उत्तरांचल शासन
चिकित्सा अनुभाग-1
संख्या:539 /XXVIII-1-2005-77/2001
देहरादून: दिनांक: 11 मार्च, 2005

विज्ञप्ति

डा0 (श्रीमती) सुमन मिश्रा, प्रवक्ता, संस्कृत राजकीय आयुर्वेदिक ऋषिकुल, हरिद्वार एवं डा0 प्रेमचन्द्र शर्मा, प्रवक्ता, संस्कृत, गुरूकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार जिनकी नियुक्ति निदेशक, आयुर्वेद के आदेश संख्या-1548/शिक्षा-1059/85 दिनांक 09.03.1988 द्वारा पूर्व मे अंशकालिक प्रवक्ता के रू0 500/- नियत मासिक मानदेय के आधार पर की गयी थी।

2- डा0 (श्रीमती) सुमन मिश्रा एवं डा0 प्रेम चन्द्र शर्मा द्वारा प्रवक्ता संस्कृत के पद का वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु मा0 लोक सेवा अधिकरण मे निर्देश याचिका दायर की गयी। मा0 अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 16.03.93 द्वारा उक्त अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

3- डा0 (श्रीमती) सुमन मिश्रा एवं डा0 प्रेम चन्द्र शर्मा द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे रिट याचिका संख्या-30619/93 दायर की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.96 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये:-

"In view of the aforesaid decision this petition is allowed. The impugned order dated 16-06-93 is set aside and the respondents are directed to pay same pay scale allowances and other benefits to the petitioners as paid to the regular Lecturer of Govt. Ayurvedic College, Lucknow arrears from the date of their appointments shall also be paid within there months of production of certified copy of this order before authorities concerned.

As regard question of regularisation, in my opinion this depends on the relevant rules. Hence the petitioners may make a representation to the concerned authorities for regularisation and the same will be decided within three months thereafter in accordance with law."

उक्त निर्णय के विरूद्व मा0 उच्चतम न्यायालय मे विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-9243/97 दायर की गयी जो मा0 उच्चतम न्यायालय मे दिनांक 18.12.97 को खारिज हो गयी।

4- अत: मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 16.12.96 के अनुपालन मे शासनादेश संख्या-एम-516/71-2-डब्ल्यू-332/93 दिनांक 27.03.98 द्वारा डा0 (श्रीमती) सुमन मिश्रा एवं डा0 प्रेम चन्द्र शर्मा की अंशकालिक संस्कृत प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति की तिथि 09.03.88 से प्रवक्ता संस्कृत का पद सृजित करते हुये वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

5- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त निर्णय के संदर्भ मे डा0 (श्रीमती) सुमन मिश्रा एवं डा0 प्रेम चन्द्र शर्मा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे एक रिट याचिका

संख्या-293/2004(एस.बी.) दायर की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 24.08.2004 को निम्नवत् आदेश दिये गये:-

"In view of the aforesaid decision, this petition is allowed. The impugned order dated 16-06-91 is set aside and respondents are directed to pay same pay scale allowances and other benefits as paid to the regular of Govt. Ayurvedic College Lucknow from this date of their appointments shall also be paid within three months of production of certified copy of this order before the authorities concerned.

As regard question of regularisation in may opinion, this depends on the relevant rule. Hence, the petitioners may make a representation to the concerned authorities for regularisation and the same will be decided within three months thereafter in accordance with law.

Under the circumstances, we direct the Government of Uttaranchal to pass necessary orders on the proposal sent by the Director, Ayurvedic & Unani Services dated 16th May, 2002. However, it is clarified that the orders shall be passed within one month of the date of our order reaching the Government. Needless to mention, that the petitioners should be entitled to all the benefits as are available to them in law after the necessary are passed.

6- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन मे डा0 (श्रीमती) सुमन मिश्रा एवं डा0 प्रेम चन्द्र शर्मा के संयुक्त प्रत्यावेदन दिनांक 28.08.2004 को शासन के आदेश दिनांक 20.12.2004 द्वारा निस्तारित कर दिया गया।

7- डा0 (श्रीमती) सुमन मिश्रा एवं डा0 प्रेम चन्द्र शर्मा द्वारा पुनः मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे एक रिट याचिका संख्या-412/2004 डा0 (श्रीमती) सुमन मिश्रा बनाम उत्तरांचल शासन व अन्य मे दायर की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये:-

"Inspite of the specific directions to come out with an explanation for the action on the part of the Government in advertising the two posts, the instructions are not forth coming.

The Government pleader is directed to make a definite statement on Monday i.e. 28/02/2005 as to at the compliance of the earlier orders of this Court as well as of the Allahabad High Court. If that is not done, the concerned officer shall attend the Court is person on Tuesday i.e. 01/03/2005.

मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये मुख्य स्थायी अधिवक्ता उत्तरांचल नैनीताल को शासनादेश दिनांक 28 फरवरी, 2005 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मा0 न्यायालय को यह अवगत करा दिया जाय कि उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्ति की विनियमितिकरण नियमावली 2002 के तहत् उक्त दोनों याचीगणों के विनियमितिकरण किये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

- दिनांक 01.03.2005 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे निम्नवत् आदेश दिये गये:-

...ructions received by him from the Principal Secretary, Education that the concerned petitioners shall be regularised by passing appropriate orders within 15 days from ...ay.

On the basis of this statement, the writ petitions is disposed of "

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन मे निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी ...ें के प्रस्ताव दिनांक 05.03.2005 पर गठित चयन समिति द्वारा उत्तरांचल (लोक सेवा ...ोग क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्ति की विनियमितिकरण नियमावली 2002 के अन्तर्गत ...र किया गया। चयन समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त डा0 ...ती) सुमन मिश्रा एवं डा0 प्रेम चन्द्र शर्मा को इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से प्रवक्ता संस्कृत के पद पर नियमित/अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री ...पाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(एस.के. दास)
प्रमुख सचिव

...ा:534(1)/XXVIII-1-2005-77/2001 तद्दिनांकित।
...लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार, माजरा, उत्तरांचल देहरादून।
सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
प्राचार्य, राजकीय ऋषिकुल/गुरूकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार।
डा0 (श्रीमती) सुमन मिश्रा, संस्कृत प्रवक्ता, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार।
डा0 प्रेम चन्द्र शर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, राजकीय गुरूकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार।
वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
गार्ड फाईल/एन.आई.सी.

आज्ञा से,
(स्नेहलता अग्रवाल) 17/3/05
अपर सचिव